[2019] 5 एस. सी. आर. 579

गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड।

वी.

तटीय समुद्री निर्माण और इंजीनियरिंग

लिमिटेड।

(2019 की सिविल अपील संख्या 3631)

अप्रैल 10,2019

[आर. एफ. नरीमन और वाइन सारन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996: एस. 11 (4) , 11 (6) और 11 (6ए)-मध्यस्थ की नियुक्ति-मध्यस्थता खंड निहित

एक अनुबंध में जिस पर मुहर नहीं लगी है-का प्रभाव-आयोजितः जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी आवेदन पर विचार करता है। 11 (4) 11 (6) तक, और एक समझौते या हस्तांतरण में एक मध्यस्थता खंड के सामने आता है

जो बिना मोहर वाला है, न्यायालय को उस उपकरण को जब्त करना चाहिए जो बिना मोहर वाला है और इसे स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए, जो स्टाम्प शुल्क और जुर्माने के भुगतान के बारे में निर्णय करेगा।

जितनी जल्दी हो सके, निर्धारित अवधि के भीतर-जैसे ही इंस्ट्रूमेंट पर स्टाम्प शुल्क और जुर्माना का भुगतान किया जाता है, कोई भी पक्ष इंस्ट्रूमेंट को अदालत के संज्ञान में ला सकता है, जो तब आवेदन यू/एस का निपटारा करेगा। 11 - मुद्रांक अधिनियम और धाराओं के प्रावधानों का सामंजस्यपूर्ण निर्माण किया जाना है। 11 (13) 1996 के अधिनियम के जिसके द्वारा, यदि संभव हो, तो दोनों प्रावधान होने चाहिए -

अधीन-इसके अलावा, एस का परिचय। 11 (6ए) किसी भी तरह से, एस. एम. एस. टी एस्टेट्स के मामले में निर्णय के आधार पर सौदा नहीं करता है या प्राप्त नहीं करता है कि स्टाम्प अधिनियम में निहित अनिवार्य प्रावधान यू/एस कार्य करने वाले न्यायिक अधिकारियों पर लागू होते हैं। 11 , एस के संशोधन के बाद भी लागू होता रहता है। 11 (6ए)-तथ्यों पर, उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड कानून के मामले के रूप में तब तक "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती-उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन को अनुमति देने वाला आदेश। के लिए

विवाद पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति, भले ही उप-अनुबंध पर मुहर नहीं लगाई गई थी, को दरकिनार कर दिया जाता है और मामला उच्च न्यायालय-महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958-एस. एस. को वापस भेज दिया जाता है। 33 और 34.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 एस. एम. एस. टी एस्टेट्स के मामले से यह पता चलेगा कि जहां एक मध्यस्थता खंड एक समझौते में निहित है।

या परिवहन, अलग-अलग परिणाम इस बात पर निर्भर करते हैं कि क्या समझौता या परिवहन अपंजीकृत है या नहीं।

अप्रचलित। एस. बी. पी. एंड कंपनी के मामले द्वारा यह तय किया जाता है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 अधिनियम की धारा 16 धारा 11 के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बाद ही पूरी तरह से लागू होती है। सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, इस दलील को स्वीकार करना मुश्किल है कि धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थता समझौते में

अनिवार्य अधिनियम जो, निस्संदेह, राजस्व की रक्षा करने के लिए है। एस. एम. एस. टी एस्टेट मामले में अनिवार्य प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है। स्टाम्प अधिनियम में निहित और उन्हें न्यायिक प्राधिकरणों पर लागू माना, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और धारा 11 के तहत कार्य करने वाला उच्च न्यायालय शामिल होगा। धारा 11 (6 ए) पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय धारा 11 (4) से 11 (6) के तहत किसी आवेदन पर विचार करता है, और किसी समझौते या हस्तांतरण में मध्यस्थता खंड आता है जो

स्टाम्प रहित है, यह स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों द्वारा आदेश दिया गया है कि पहले समझौते या परिवहन को जब्त किया जाए और उस स्टाम्प को देखा जाए समग्र रूप से समझौते पर कार्रवाई करने से पहले शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाता है। स्टाम्प एक्ट समझौते पर लागू होता है या

ताकि इसे एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया जा सके। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 11 (6 ए) की शुरूआत, किसी भी तरह से, एस. एम. एस. टी. में दिए गए निर्णय के आधार से संबंधित नहीं है या उससे परे नहीं है। एस्टेट का मामला, जो धारा 11 (6 ए) के संशोधन के बाद भी लागू रहता है। [पैरा 15,16] [602-जी-एच; 604-ई-एच; 605-ए-डी]

1.2 जब एक मध्यस्थता खंड "एक अनुबंध में" निहित है,

यह महत्वपूर्ण है कि समझौता केवल तभी अनुबंध बन जाता है जब वह गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड हो।

वी. कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड

11 (6 ए), जब 1996 के अधिनियम की धारा 7 (2) और अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (एच) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी समझौते में मध्यस्थता खंड तब मौजूद नहीं होगा जब वह कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। यह इस बात का भी संकेत है कि एस. एम. एस. टी एस्टेट्स मामले को धारा 11 (6 ए) के संशोधन ने किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया है। [पैरा 19] [606-बी-सी] 1.3 तत्काल मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड तब तक कानूनी मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती। यह तर्क कि धारा 11 (6 ए) धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत "अस्तित्व" से संबंधित है, जो एक मध्यस्थता समझौते की "वैधता" से संबंधित है, इस न्यायालय की संयुक्त भारत में "अस्तित्व" अभिव्यक्ति की समझ से जवाब मिलता है।

इस न्यायालय द्वारा बीमा कंपनी के मामले का अनुसरण किया गया। [पैरा 24] [612-बी-सी]

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। वी. हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और Ors.2018

एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1045-पर निर्भर था।

1.4 यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 11 (13) के तहत 60-दिन की अवधि का उल्लंघन किया जाएगा यदि धारा 11 (6) आवेदन के चरण में कोई दस्तावेज जब्त किया जाता है। स्टाम्प शुल्क, जब जुर्माने (यदि कोई हो) के साथ भुगतान किया जाता है, तो स्टाम्प प्राधिकरणों द्वारा निर्णय की आवश्यकता होगी, जिसमें धारा 11 (13) द्वारा निर्धारित 60 दिनों की अवधि से कहीं अधिक समय लगेगा। निस्संदेह, धारा 11 (13), जिसे 2016 के संशोधन अधिनियम 3 द्वारा भी पेश किया गया था,

1996 के अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया, अर्थात्, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का त्वरित निपटान और मध्यस्थ की नियुक्ति यथासंभव शीघ्रता से की जानी चाहिए। इस प्रकार, एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण की आवश्यकताएँ

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम और 1996 अधिनियम की धारा 11 (13) के प्रावधानों को दिया जाना चाहिए, जिसके द्वारा, यदि संभव हो, तो दोनों प्रावधानों को कम किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत, एक ऐसे उपकरण को जब्त करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्टाम्प शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान [2019] 5 एस. सी. आर. पर किया जाना चाहिए।

ऐसा लिखत जिस पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी तरह, 1996 के अधिनियम की धारा 11 (13) के तहत, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत किए गए आवेदन का यथासंभव शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए, और किसी भी स्थिति में, ऐसे आवेदन का निपटान करने का प्रयास किया जाएगा। [पैरा 26] [613-सी-एफ]

1.5 विधियों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत व्याख्यात्मक सिद्धांत में दृढ़ता से निहित है। एक तर्कसंगत

34 महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, जो कि राजस्व की सुरक्षा से संबंधित एक सामान्य क़ानून है, और 1996 अधिनियम की धारा 11 (13), जो विशेष रूप से राजस्व के त्वरित समाधान पर लागू होती है। शीघ्रता से एक मध्यस्थ की नियुक्ति द्वारा विवाद यह घोषणा करते हुए है कि धारा 11 के आवेदन के साथ आगे बढ़ते समय, उच्च न्यायालय को उस लिखत को जब्त करना चाहिए जिसने स्टाम्प शुल्क वहन नहीं किया है और इसे प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए।

महाराष्ट्र स्टाम्प एक्ट, जो तब भुगतान जारी करने का फैसला करेगा मुद्रांक शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) जितनी जल्दी हो सके, और अधिमानतः उस तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर जिस दिन प्राधिकरण को लिखत प्राप्त होती है। जैसे ही दस्तावेज़ पर स्टाम्प शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाता है, कोई भी पक्ष दस्तावेज़ को उच्च न्यायालय के ध्यान में ला सकता है, जो तब धारा 11 के आवेदन की तेजी से सुनवाई और निपटान के लिए आगे बढ़ेगा। यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि एक बार धारा 11 के आवेदन की अनुमति मिलने के बाद और एक मध्यस्थ नियुक्त होने के बाद, मध्यस्थ 1996 के अधिनियम की धारा 29 ए द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर विवाद का फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता है। [पैरा 27,28] [613-जी; 616-एफ-एच; 617-ए-बी]

एससीआर 895; जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं. लिमिटेड बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1961] 3 एस. सी. आर. 185; मुखिया।

खान निरीक्षक बनाम। लाला करम चंद थापर [1962] 1 एससीआर 9; अनवर हसन खान बनाम। मोहम्मद. शफी (2001) 8

एस. सी. सी. 540 का उल्लेख किया गया।

1.6 उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है। मामले को प्रकाश में रखने के लिए इसे उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

इस निर्णय से।

[पैरा 29] [617-सी] गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड। वी. कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड

* एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम चांदमारी चाय कंपनी (पी)

आशापुरा खदान-केम लिमिटेड बनाम। गुजरात खनिज विकास निगम (2015) 8 एससीसी 193: [2015]

4 एस. सी. आर. 880-लागू नहीं होता है।

जे. एम. डी. लिमिटेड बनाम सेलिब्रिटी फिटनेस इंडिया प्रा. लिमिटेड (2019) एससीसी

ऑनलाइन डेल 6483; बी. डी. शर्मा बनाम स्वास्तिक इन्फ्रा एस्टेट

प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 13279;

संदीप सोनी बनाम। संजय रॉय (2018) एससीसी ऑनलाइन डेल

11169 ; एन. डी. डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड वी. भारती और ओआरएस। (2018) एस. सी. सी. ऑनलाइन कर 2938; गौतम परिदृश्य

प्रा. लिमिटेड वी. शैलेश शाह और ओआरएस। अरब। पेट। नं. 466

2017 का-अस्वीकृत।

** एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड (2005) 8

एस. सी. सी. 618 [2005] 4 पूरक। एससीआर 688; राष्ट्रीय

बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड (2009)

1 एससीसी 267: [2008] 13 एस. सी. आर. 638; कोंकण रेलवे

निगम लिमिटेड बनाम। मेहूल कंस्ट्रक्शन कं. (2000) 7 एस. सी. सी. 201 [2000] 2 पूरक। एस. सी. आर. 563; कोंकण रेलवे

निगम लिमिटेड बनाम। रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड (2002)

2 एससीसी 388: [2002] 1 एस. सी. आर. 728; एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड।

& ओआरएस। वी. एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और ए. एन. आर. (2014) 5 एससीसी 1: [2014] 2 एस. सी. आर. 855; ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम

पोर्ट लिमिटेड (2017) 9 एससीसी 729: [2017] 10 एससीआर 285 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2005] 4 पूरक। एससीआर 688

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

[2008] 13 एससीआर 638

संदर्भित किया गया है

पैरा

5

[2000] 2 पूरक। एससीआर 563

संदर्भित किया गया है

पैरा

9

[2002] 1 एससीआर 728

पैरा

9

संदर्भित किया गया है

[2011] 9 एससीआर 382

पीछा किया।

पैरा

16

[2014] 2 एससीआर 855

संदर्भित किया गया है

पैरा

21

अप्रयोज्य रखा गया

[2015] 4 एससीआर 880

पैरा

21

[2017] 10 एससीआर 285

संदर्भित किया गया है

[1958] एससीआर 895

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[1961] 3 एससीआर 185

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

[1962] 1 एस. सी. आर 9

संदर्भित किया गया है

पै

रा 27

(2001) 8 एससीसी 540

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 3631

2019 से।

उच्च न्यायालय के 09.03.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2017 की मध्यस्थता याचिका संख्या 24 में बॉम्बे में न्यायपालिका।

ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , आशीष वाड, श्रीमती जयश्री वाड, सिद्धार्थ

महाजन, सुश्री सुकृति जग्गी (मेसर्स के लिए)। जे. एस. वाड एंड कंपनी), अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सुश्री रिद्धि न्याटी, अश्विन शंकर, आदित्य वर्मा, श्रेय पटनायक,

अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था
आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील अपीलार्थी द्वारा दिए गए उप-अनुबंध से उत्पन्न होती है।

तटीय कटाव से सुरक्षा के लिए ओडिशा के पेंठा गाँव में पैर के अंगूठे के टीले के साथ एक भू-वस्त्र ट्यूब तटबंध की स्थापना के लिए किए जाने वाले काम के संबंध में प्रतिवादी को। उप-अनुबंध समझौते की तिथि 14.06.2013 है, जिसके अनुलग्नक III में निम्नलिखित मध्यस्थता खंड शामिल हैः

" कोई भी और सभी दावे, विवाद, प्रश्न या विवाद
पक्षों को शामिल करना और इसके संबंध में उत्पन्न होना

ऐसे पक्षों द्वारा बातचीत के माध्यम से हल किया जाएगा
पुणे में आयोजित अंतिम और बाध्यकारी मध्यस्थता द्वारा हल किया गया। द.

विवादों को नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा।

जी. डब्ल्यू. आर. एल. और कॉमाको द्वारा संयुक्त रूप से समझौता किया गया।

3. पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुए, और 02.01.2015 पर,

अपीलार्थी ने उप-अनुबंध को समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप, 20.07.2016 पर, प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी को यह कहते हुए लिखा कि चूंकि पक्षों के बीच विवाद और मतभेद पैदा हो गए थे, इसलिए अधिवक्ता श्री मिहिर नानीवाडेकर को एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करने का नोटिस दिया गया था।

अपीलार्थी ने गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड को जवाब दिया। वी. कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

17.08.2016 पर, यह कहते हुए कि श्री नानीवाडेकर की एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्ति स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि समझौते के अनुसरण में मध्यस्थता का आह्वान अपरिपक्व है। इसलिए, प्रतिवादी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के समक्ष 10.02.2017 पर मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 ["1996 अधिनियम"] की धारा 11 के तहत एक याचिका दायर की। दिनांक 09.03.2018 के विवादित निर्णय द्वारा, धारा 11 याचिका को अनुमति दी गई और श्री नानीवाडेकर को विवादों पर निर्णय लेने के लिए एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया।

और वे मतभेद जो अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच दिनांकित उप-अनुबंध 14.06.2013 के संबंध में उत्पन्न हुए हैं।

इस न्यायालय ने एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (पी) लिमिटेड बनाम. चांदमारी चाय कंपनी (पी) लिमिटेड, (2011) 14 एस. सी. सी. 66 ["एस. एम. एस. टी एस्टेट्स"] ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां एक अनस्टैम्प्ड समझौते में एक मध्यस्थता खंड निहित है, प्रावधान

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 ["भारतीय स्टाम्प अधिनियम"] के तहत धारा 11 के आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश से समझौते को जब्त करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि धारा 11 के आवेदन के साथ आगे बढ़ने से पहले उस पर स्टाम्प शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाए। सवाल यह है कि क्या धारा 11 (6ए), जिसे मध्यस्थता और सुलह के माध्यम से पेश किया गया है। (संशोधन) अधिनियम, 2015 ["संशोधन अधिनियम, 2015"] ने इस निर्णय के आधार को हटा दिया है, ताकि जिस स्तर पर लिखत को जब्त किया जाना है, वह धारा 11 के आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश द्वारा नहीं है, बल्कि एक मध्यस्थ द्वारा है जिसे धारा 11 के तहत नियुक्त किया गया है, जैसा कि विवादित निर्णय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ध्रुव मेहता ने हमें उप-अनुबंध के साथ-साथ उसमें निहित मध्यस्थता खंड के बारे में बताया है। उन्होंने दृढ़ता से भरोसा किया कि

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम, 1958 ["महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम"] और उसकी धारा 33 और 34, विशेष रूप से। उनके अनुसार, ये ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 35 में निहित प्रावधानों के समान हैं, जो एस. एम. एस. टी एस्टेट (उपरोक्त) में आयोजित किए गए हैं, जिसमें न्यायिक अधिकारियों को ऐसे उपकरणों को जब्त करने की आवश्यकता होती है, जिन्हें साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता है या जब तक कि विधिवत मुहर नहीं लग जाती है, तब तक उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

उनके अनुसार, 1996 के अधिनियम में धारा 11 (6ए) के लागू होने के बाद भी एस. एम. एस. टी. एस्टेट्स (उपरोक्त) में निर्णय लागू रहता है, जिसके द्वारा न्यायालय अब एक मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक ही सीमित है। 246वें विधि आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, जिसके कारण धारा [2019] 5 एस. सी. आर. में संशोधन किया गया।

11 (6ए), मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015 में संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ, श्री मेहता ने तर्क दिया कि यह स्पष्ट था कि संशोधन विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों, अर्थात् एस. बी. पी. एंड कंपनी के परिणामस्वरूप आवश्यक था। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618 ["एस. बी. पी. एंड कंपनी"] और राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघरा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267 ["बोघरा पॉलीफैब"], जिसके द्वारा दरवाजा बहुत चौड़ा खोला गया था, ताकि कई प्रारंभिक मुद्दे जो अस्तित्व से संबंधित नहीं हैं।

एक मध्यस्थता समझौते का निर्णय मध्यस्थ के बजाय धारा 11 के आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा किया जाना था। इन दो निर्णयों पर ध्यान केंद्रित होने के कारण, यह स्पष्ट है कि इन दो निर्णयों का आधार हटा दिया गया है, जिससे एस. एम. एस. टी. एस्टेट्स (उपरोक्त) अछूते हैं। उनके अनुसार, यह स्पष्ट है कि यदि, कानून के संचालन के परिणामस्वरूप, एक उपकरण को जब्त किया जाना है, जिस पर मुद्रांक शुल्क और जुर्माना (यदि

किसी भी) का भुगतान किया जाना है, इसका पालन किया जाना चाहिए क्योंकि धारा 11 (6ए) भारतीय स्टाम्प अधिनियम में हस्तक्षेप करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करती है। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए कुछ निर्णयों पर भरोसा किया।

6. प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता सुश्री रिद्धि न्याटी ने हमें विशेष रूप से 1996 के अधिनियम की धारा 8,16 और 45 का उल्लेख किया और यह स्पष्ट किया कि संशोधन अधिनियम, 2015 का उद्देश्य धारा 11 (6ए) को लागू करने में, धारा 11 के आवेदन की सुनवाई करने वाले न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित करना था और इससे अधिक कुछ नहीं। उन्होंने एक मध्यस्थता समझौते की "वैधता" और "अस्तित्व" के बीच अंतर किया, और तर्क दिया कि प्रावधान भारतीय स्टाम्प अधिनियम एक राजकोषीय उपाय है जिसका उद्देश्य केवल राजस्व एकत्र करना है और यदि यह किसी मध्यस्थता समझौते की "वैधता" तक जाएगा, न कि इसके "अस्तित्व" तक। उन्होंने कुछ निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा किया जिससे यह स्पष्ट हो गया कि एक मध्यस्थता समझौता समझौते से स्वतंत्र है।

जिसमें यह निहित है। जब तक यह लिखित रूप में है, और इसलिए, वास्तव में मौजूद है, धारा 11 के आवेदन की सुनवाई करने वाला न्यायालय एक मध्यस्थ की नियुक्ति करता है और उसके बाद अन्य सभी प्रारंभिक मुद्दों को मध्यस्थ पर छोड़ देता है, जैसा कि 1996 के अधिनियम की धारा 11 द्वारा अनिवार्य है। संशोधन का पूरा उद्देश्य विफल हो जाएगा क्योंकि अन्यथा, धारा 11 के चरण में एक लघु परीक्षण किया जाएगा, जिसमें समझौते को जब्त करने की आवश्यकता होगी।

जिसमें मध्यस्थता खंड शामिल है। उन्होंने 1996 के अधिनियम की धारा 11 (13) पर भी भरोसा किया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि धारा 11 के तहत आवेदन को नोटिस की सेवा की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर निपटाया जाना चाहिए, और यह संभव नहीं होगा यदि भारतीय स्टाम्प अधिनियम से संबंधित प्रश्नों का निर्णय धारा 11 के स्तर पर किया जाना था।

समान रूप से, गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड। वी. कोस्टल मरीन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उनके अनुसार, यदि मध्यस्थ मध्यस्थता शुरू करता है और फिर भारतीय स्टाम्प अधिनियम को लागू करके मध्यस्थता खंड वाले दस्तावेजों को जब्त करता है तो किसी भी पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि, वर्तमान मामले में, यह अपीलकर्ता है जिसे भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना है, और इसलिए,

ऐसा न करने में अपनी गलती का लाभ नहीं उठा सकते, जैसा कि विवादित निर्णय में सही माना गया है। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए कई अन्य निर्णयों पर भी भरोसा किया।

7. दोनों पक्षों की विद्वान सलाह सुनने के बाद, यह महत्वपूर्ण है कि

सबसे पहले 1996 के अधिनियम में निहित प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित किया गया। धारा 2 (1) (बी) "मध्यस्थता समझौते" को निम्नानुसार परिभाषित करती हैः

" 2. परिभाषाएँ। (1) इस भाग में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यकता है,

XXX XXX XXX

(ख) "मध्यस्थता समझौता" का अर्थ है -

धारा 7;

XXX XXX "

धारा 7 महत्वपूर्ण है और इसका क्या अर्थ है

मध्यस्थता समझौता। धारा 7 में कहा गया हैः

" 7. मध्यस्थता समझौता। (1) इस भाग में, "मध्यस्थता

समझौता "का अर्थ है पक्षों द्वारा प्रस्तुत करने के लिए एक समझौता मध्यस्थता सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो हो सकते हैं

एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न होता है,

चाहे संविदात्मक हो या नहीं।

(2) एक मध्यस्थता समझौता मध्यस्थता के रूप में हो सकता है।

(3) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा। (4) एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह इसमें निहित है

(क) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित एक दस्तावेज;

(ख) पत्रों, टेलेक्स, तार या अन्य का आदान-प्रदान।

दूरसंचार

सहित

से

मतलब

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से संचार

समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करें; या [2019] 5 एस. सी. आर.

(ग) दावे और बचाव के बयानों का आदान-प्रदान जिसमें समझौते के अस्तित्व का आरोप लगाया जाता है

एक पक्ष और दूसरे द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया।

(5) एक दस्तावेज़ के लिए एक अनुबंध में संदर्भ जिसमें एक

मध्यस्थता खंड एक मध्यस्थता समझौते का गठन करता है यदि अनुबंध लिखित रूप में है और संदर्भ ऐसा है कि उस मध्यस्थता खंड को अनुबंध का हिस्सा बनाया जाए।

धारा 8, जो पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति की बात करती है और एक मध्यस्थता समझौता भी प्रासंगिक है, और कहता हैः

" 8. पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने की शक्ति जहां एक

मध्यस्थता समझौता। (1) एक न्यायिक प्राधिकरण, जिसके समक्ष

एक मामले में एक कार्रवाई की जाती है जो एक मध्यस्थता समझौते का विषय है, यदि मध्यस्थता समझौते का कोई पक्ष या उसके माध्यम से या उसके तहत दावा करने वाला कोई व्यक्ति, इस तरह से बाद में लागू नहीं होता है

विवाद के सार पर अपना पहला बयान प्रस्तुत करने की तारीख,

तब, के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद

सर्वोच्च न्यायालय या कोई भी न्यायालय, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है जब तक कि

यह पाता है कि प्रथम दृष्टया कोई वैध मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है। (2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन नहीं होगा

जब तक कि यह मूल मध्यस्थता के साथ न हो, तब तक मनोरंजन किया जाता है। समझौता या उसकी विधिवत प्रमाणित प्रति।

बशर्ते कि जहां मूल मध्यस्थता समझौता या

उप-धारा (1) के तहत मध्यस्थता के संदर्भ के लिए आवेदन करने वाले पक्ष के पास इसकी प्रमाणित प्रति उपलब्ध नहीं है, और उक्त समझौते या प्रमाणित प्रति को उस समझौते के दूसरे पक्ष द्वारा रखा जाता है, फिर, इस तरह आवेदन करने वाला पक्ष मध्यस्थता समझौते की एक प्रति और एक याचिका के साथ ऐसा आवेदन दायर करेगा।

अदालत से अनुरोध है कि वह दूसरे पक्ष को उस अदालत के समक्ष मूल मध्यस्थता समझौते या इसकी विधिवत प्रमाणित प्रति पेश करने के लिए कहे।

(3) इसके बावजूद कि उप के तहत एक आवेदन किया गया है

धारा (1) और यह कि मुद्दा न्यायिक प्राधिकारी के समक्ष लंबित है,

एक मध्यस्थता शुरू या जारी रखी जा सकती है और एक मध्यस्थता

पुरस्कार दिया गया "।

निर्णय लेने के लिए धारा 11 (6ए), 11 (7) और 11 (13) महत्वपूर्ण हैं।

यहाँ और नीचे दिए गए हैं:

गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड। वी. तटीय नौसेना

ऑनस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 11. मध्यस्थों की नियुक्ति।

XXX XXX XXX (13) इस धारा के तहत मध्यस्थ या मध्यस्थों की नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या ऐसे न्यायालय द्वारा नामित व्यक्ति या संस्था, जैसा भी मामला हो, द्वारा यथासंभव शीघ्रता से निपटारा किया जाएगा और इसके विपरीत नोटिस की सेवा की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा।

पार्टी। XXX XXX "

16 (1) पर इस प्रकार लिखा हैः

" 16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थता न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र। (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने दम पर फैसला दे सकता है। अधिकारिता, जिसके संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय शामिल है

मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व या वैधता, और उसके लिए

उद्देश्य, -

(क) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाएगा।

अनुबंध का; और

(ख) मध्यस्थता न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से अमान्य नहीं होगा।

मध्यस्थता खंड।

XXX XXX "

धारा 45, जो न्यायिक प्राधिकारी की शक्ति की बात करती है -

जब 1958 के ई. डब्ल्यू. यॉर्क कन्वेंशन द्वारा निर्दिष्ट समझौतों की बात आती है, तो मध्यस्थता के लिए पक्ष निम्नानुसार कहते हैं:

" 45. पक्षकारों को संदर्भित करने के लिए न्यायिक प्राधिकरण की शक्ति मध्यस्थता। भाग I या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में कुछ भी निहित होने के बावजूद, एक न्यायिक प्राधिकरण,

जब किसी ऐसे मामले में कार्रवाई की जाती है जिसके संबंध में पक्षों ने धारा 44 में निर्दिष्ट समझौता किया है, तो किसी एक पक्ष या किसी व्यक्ति के अनुरोध पर या उसके अधीन, पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें, जब तक कि यह न पाए कि उक्त समझौता अमान्य, निष्क्रिय या होने में असमर्थ है।

प्रदर्शन किया "।

8. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 34, जिसके साथ

ई सीधे संबंधित, निम्नानुसार पढ़िए:

" 33. उपकरणों की जाँच और ज़ब्त करना। — (1)

धारा 32-ए के प्रावधानों के अधीन, कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति और सार्वजनिक पद का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति, पुलिस अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी को छोड़कर, जो कानून द्वारा किसी भी कानून के तहत अपराधों की जांच करने के लिए सशक्त है, उसके समक्ष, उसकी राय में, कर्तव्य के साथ, कोई प्रभार्य लिखत पेश की जाती है या उसके कार्यों के निष्पादन में आती है, यदि उसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे दस्तावेज पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

चाहे साधन कानून में मान्य हो या नहीं।

(2) उस उद्देश्य के लिए ऐसा प्रत्येक व्यक्ति यह पता लगाने के लिए कि क्या उस पर इस तरह से चार्ज करने योग्य और इस तरह से प्रस्तुत या उसके सामने आने वाले प्रत्येक उपकरण पर मुहर लगी है या नहीं, उसकी जांच करेगा।

राज्य में उस समय लागू कानून द्वारा आवश्यक मूल्य और विवरण जब इस तरह के दस्तावेज को निष्पादित किया गया था या पहली बार निष्पादित किया गया था:

बशर्ते कि, (क) इसमें निहित किसी भी बात के लिए यह नहीं समझा जाएगा कि किसी आपराधिक न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश से जांच करने या जब्त करने की आवश्यकता है, यदि वह संहिता के अध्याय IX या अध्याय X के भाग D के तहत किसी

कार्यवाही के अलावा किसी अन्य कार्यवाही के दौरान उसके सामने आने वाला कोई दस्तावेज करने के लिए ऐसा करना उचित नहीं समझता है।

आपराधिक प्रक्रिया, 1973; गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड।

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में, जाँच करने का कर्तव्य

और इस धारा के तहत किसी भी उपकरण को जब्त किया जा सकता है ऐसे अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है जिसे न्यायालय इस संबंध में नियुक्त करे।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, संदेह के मामलों में,

(क) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि कौन से कार्यालय होंगे।

सार्वजनिक कार्यालय माने जाते हैं; और (ख) राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि किसे माना जाएगा।

सार्वजनिक कार्यालयों के प्रभारी व्यक्ति होना।

34. साक्ष्य आदि में विधिवत मुद्रांकित नहीं किए गए दस्तावेज-शुल्क के साथ प्रभार्य किसी भी उपकरण को किसी भी उद्देश्य के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसे कानून द्वारा या पक्षकारों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है, या उस पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसे किसी व्यक्ति या किसी सार्वजनिक अधिकारी द्वारा पंजीकृत या प्रमाणित किया जाएगा जब तक कि ऐसे उपकरण पर विधिवत मुद्रांकित नहीं किया जाता है या यदि उपकरण को मुद्रित स्टाम्प के साथ कागज की चादर पर लिखा जाता है तो ऐसा स्टाम्प पेपर किसी एक पक्ष के नाम पर खरीदा जाता है। यंत्रः

बशर्ते कि, (क) ऐसा कोई भी लिखत, सभी न्यायसंगत अपवादों के अधीन, निम्नलिखित के भुगतान पर साक्ष्य में स्वीकार किया जाएगाः -

(i) वह शुल्क जिसके साथ वह प्रभार्य है, या किसी उपकरण पर अपर्याप्त रूप से मुहर लगे होने की स्थिति में, राशि

इस तरह के कर्तव्य को पूरा करने के लिए आवश्यक, और

((ii) हर महीने या उसके हिस्से के लिए स्टाम्प शुल्क के कम हिस्से के 2 प्रतिशत की दर से जुर्माना,

ऐसे उपकरण के निष्पादन की तिथिः बशर्ते कि किसी भी मामले में जुर्माने की राशि

स्टाम्प शुल्क के कम हिस्से से दोगुने से अधिक। (ख) जहाँ किसी भी प्रकार का अनुबंध या समझौता दो या दो से अधिक पत्रों वाले पत्राचार द्वारा प्रभावित होता है और किसी भी पत्र पर उचित मुहर होती है; अनुबंध या समझौता

विधिवत मुहर लगी हुई मानी जाएगी;

(ग) इसमें निहित कुछ भी आपराधिक न्यायालय, [2019] 5 एस. सी. आर. में किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय IX या अध्याय X के भाग D के तहत कार्यवाही के अलावा;

(घ) इसमें निहित कुछ भी किसी भी न्यायालय में किसी भी दस्तावेज के प्रवेश को नहीं रोकेगा जब ऐसा दस्तावेज सरकार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किया गया है या जहां यह लागू होता है

धारा 32 या किसी अन्य द्वारा प्रदत्त कलेक्टर का प्रमाण पत्र

इस अधिनियम के अन्य प्रावधान;
(ई) इसमें निहित कुछ भी किसी भी दस्तावेज की प्रति के प्रवेश या सामग्री के मौखिक प्रवेश को नहीं रोकेगा।

यदि खंड (क) में निर्दिष्ट स्टाम्प शुल्क या स्टाम्प शुल्क और जुर्माने के कम हिस्से का भुगतान किया जाता है। ”

9. मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मामला कानून, जैसा कि यह संशोधन अधिनियम, 2015 से पहले था, का इतिहास उतार-चढ़ाव वाला रहा है।

कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम। मेहूल कंस्ट्रक्शन कं., (2000) 7 एस. सी. सी. 201 ["कोंकण रेलवे I"], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां प्रशासनिक प्रकृति की हैं, और यह कि मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय न्यायिक प्राधिकरण के रूप में कार्य नहीं करता है। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम में भी यही विचार दोहराया गया था। रानी कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड, (2002) 2 एससीसी 388 ["कोंकण रेलवे II"]।

10. हालांकि, एस. बी. पी. एंड कंपनी (उपरोक्त) मामले में, सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस विचार को खारिज कर दिया और कहा कि धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति न्यायिक है न कि प्रशासनिक। सात न्यायाधीशों की पीठ के निष्कर्षों को उपरोक्त फैसले के पैराग्राफ 47 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया था। हम सीधे उप-पैराग्राफ (i), (iv) और (xii) से संबंधित हैं, जो इस प्रकार पढ़िए:

" (i) अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की गई शक्ति नहीं है।

प्रशासनिक शक्ति। यह एक न्यायिक शक्ति है।
XXX XXX XXX

((iv) मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश को इस निर्णय के पूर्व भाग में बताए गए प्रारंभिक पहलुओं पर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अनुरोध पर विचार करने के लिए ये उनका अपना अधिकार क्षेत्र होगा, एक वैध मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व,

एक जीवित दावे का अस्तित्व या अन्यथा, उसकी शक्ति के प्रयोग के लिए शर्त का अस्तित्व और गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड की योग्यताओं पर।

वी. कोस्टल मरीन इंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मध्यस्थ या मध्यस्थ। मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश

आवश्यकता पड़ने पर अधिनियम की धारा 11 (8) के अनुसार योग्य मध्यस्थ को नामित करने के मामले में किसी संस्था की राय लेने का अधिकार होगा, लेकिन मध्यस्थ की नियुक्ति का आदेश केवल मुख्य न्यायाधीश या नामित न्यायाधीश का ही हो सकता है।

XXX XXX XXX

(xii) कोंकण रेलवे में निर्णय। कॉर्प. लिमिटेड वी. रानी

कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड [(2002) 2 एस. सी. सी. 388] को खारिज कर दिया गया है।

बोघारा पॉलीफैब (ऊपर) में स्थिति को आगे इस प्रकार स्पष्ट किया गया थाः

" 22. जहाँ नियुक्ति के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप मांगा जाता है।

धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति का कर्तव्य एस. बी. पी. एंड कंपनी [(2005) 8 एस. सी. सी. 618] में परिभाषित किया गया है। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले प्रारंभिक मुद्दों की पहचान की और उन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया, अर्थात्, (i) ऐसे मुद्दे जिन पर मुख्य न्यायाधीश या उनका नामित व्यक्ति निर्णय लेने के लिए बाध्य है; (ii) ऐसे मुद्दे जो वह भी तय कर सकता है, यानी ऐसे मुद्दे जो वह तय करने के लिए चुन सकता है; और (iii) ऐसे मुद्दे जो निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ दिए जाने चाहिए।

22.1 . जिन मुद्दों (पहली श्रेणी) पर मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को निर्णय लेना होगा, वे हैंः

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने संपर्क किया है

उपयुक्त उच्च न्यायालय। (ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह पक्ष जिसने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है,

इस तरह के समझौते के लिए एक पक्ष।

22.2 . वे मुद्दे (दूसरी श्रेणी) जिन्हें मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है (या उन्हें निर्णय पर छोड़ सकता है)

मध्यस्थ न्यायाधिकरण) हैंः

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा है या एक जीवित दावा है।

दावा करें।

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है।

या बिना किसी आपत्ति के अंतिम भुगतान प्राप्त करके।

22.3 . जिन मुद्दों (तीसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए, वे हैं:

(i) क्या किया गया दावा मध्यस्थता खंड के अंतर्गत आता है (उदाहरण के लिए, एक ऐसा मामला जो किसी मध्यस्थ के अंतिम निर्णय के लिए आरक्षित है।

विभागीय प्राधिकारी और इसके अपवाद या बहिष्कृत

मध्यस्थता)।

((ii) मध्यस्थता में शामिल गुण या कोई दावा।

11. इन निर्णयों के परिणामस्वरूप, दरवाजे व्यापक रूप से खुले थे

न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति को बड़ी संख्या में प्रारंभिक निर्णय लेने के लिए

जिसे अन्यथा तय करने के लिए छोड़ दिया जा सकता था

1996 के अधिनियम की धारा 16 के तहत। नतीजतन, कानून

भारत के मिशन ने अगस्त 2014 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट संख्या 246 द्वारा अनुमान लगाया कि 1996 के अधिनियम में विभिन्न व्यापक परिवर्तन किए जाने चाहिए।

एस. बी. पी. एंड कंपनी (ऊपर) और बोघारा पॉलीफैब (ऊपर) हैं

इसके बाद विधि आयोग ने मामले की जांच की और सिफारिश कीधारा में एक नई उप-धारा, अर्थात् उप-धारा (6 ए) का गठन, विधि आयोग की सिफारिशें जो प्रासंगिक हैं, जिसके कारण धारा 11 (6 ए) को लागू किया गया, वे इस प्रकार हैं:

" 28. अधिनियम उन स्थितियों को मान्यता देता है जहां न्यायालय के हस्तक्षेप की परिकल्पना मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन से पहले की गई है, जिसमें भाग I मध्यस्थता के मामले में धारा 8,9,11 और भाग II मध्यस्थता के मामले में धारा 45 शामिल हैं। "मध्यस्थता के संदर्भ" और "न्यायाधिकरण की नियुक्ति" से संबंधित धारा 8,45 और धारा 11 भी न्यायाधिकरण के गठन और मध्यस्थता कार्यवाही के कामकाज को सीधे प्रभावित करती हैं। इसलिए, उनके संचालन का मध्यस्थता के "आचरण" पर प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। धारा 9, केवल अंतरिम राहत प्राप्त करने के उद्देश्य से, हालांकि पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करने की क्षमता रखने के कारण, " इन अन्य प्रावधानों की तरह ही मध्यस्थता का संचालन करना। इस संदर्भ में आयोग ने इन प्रावधानों के कार्यकरण की जांच और विचार-विमर्श किया है और कुछ संशोधनों का प्रस्ताव दिया है।

29. उच्चतम न्यायालय को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 11 के संदर्भ में अनुमेय मध्यस्थता पूर्व न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे और प्रकृति पर विचार-विमर्श करने का अवसर मिला है। हालाँकि, दुर्भाग्य से, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रश्न गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड में तैयार किया गया था।

वी. कोस्टल मरीन इंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

क्या ऐसी शक्ति एक "न्यायिक" या एक "प्रशासनिक" शक्ति है-जो इस तरह के अंतर्निहित वास्तविक मुद्दे को अस्पष्ट करती है

के रूप में नामकरण/विवरण

ऐसी शक्तियों का दायरा-यानी उन तर्कों का दायरा जिन पर एक न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) यह तय करते समय विचार करेगा कि मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए या नहीं-यानी कि क्या मध्यस्थता समझौता मौजूद है, क्या यह अमान्य है, क्या यह अमान्य है आदि। ; और इनमें से कौन सा होना चाहिए

मध्यस्थता न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए अनुमति। इस तरह के हस्तक्षेप की प्रकृति-यानी क्या न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश) एक विस्तृत परीक्षण पर मुद्दों पर विचार करेगा और क्या उन पर अंत में निर्णय लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा।

मध्यस्थ न्यायाधिकरण के निर्धारण के लिए।

30. एस. बी. पी. बनाम में निर्णय में समाप्त होने वाले मामलों की एक श्रृंखला के बाद। पटेल इंजीनियरिंग, (2005) 8 एस. सी. सी. 618, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति एक "न्यायिक" शक्ति है। हस्तक्षेप के दायरे से संबंधित इस फैसले में अंतर्निहित मुद्दों को बाद में रवींद्रन जे द्वारा स्पष्ट किया गया था।

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम बोघारा पॉलीफैब प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड, (2009) 1 एस. सी. सी. 267, जहाँ उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया -

" 1. मुद्दे (पहली श्रेणी) जो मुख्य न्यायाधीश/उनके द्वारा नामित किए जाते हैं

यह तय करना होगा किः

(क) क्या आवेदन करने वाले पक्ष ने उपयुक्त उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है? (ख) क्या कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या वह पक्ष जिसने अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन किया है,

इस तरह के समझौते का पक्षकार?

2. जिन मुद्दों (दूसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनका नामित व्यक्ति तय करने के लिए चुन सकता है, वे हैंः

(क) क्या दावा एक मृत (लंबे समय से वर्जित) दावा है या

लाइव दावा?

(ख) क्या पक्षों ने अपने पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों की संतुष्टि दर्ज करके या बिना अंतिम भुगतान प्राप्त किए अनुबंध/लेनदेन का समापन किया है।

आपत्ति?

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. जिन मुद्दों (तीसरी श्रेणी) को मुख्य न्यायाधीश/उनके नामित व्यक्ति को विशेष रूप से मध्यस्थता न्यायाधिकरण पर छोड़ना चाहिए, वे हैं:

मध्यस्थता)?

(ख) मध्यस्थता में शामिल किसी भी दावे के गुण-दोष।

धारा 11 के संदर्भ में लागू, न्यायपालिका के दायरे और प्रकृति के कारण अधिनियम की धारा 8 और 45 पर भी लागू होना चाहिए। हस्तक्षेप इस बात पर नहीं बदलना चाहिए कि क्या कोई पक्ष (करने का इरादा रखता है)

मध्यस्थता समझौते को विफल करना) मध्यस्थता समझौते के संदर्भ में एक मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करता है, या इस तरह के मध्यस्थता समझौते के सामने न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही करता है।

32. हस्तक्षेप की प्रकृति के संबंध में, कानून की व्याख्या शिन एटसु केमिकल्स कंपनी लिमिटेड बनाम में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में पाई जाती है। अक्ष ऑप्टिफ़ाइबर, (2005) 7 एस. सी. सी. 234, (अधिनियम की धारा 45 के संदर्भ में), जहां सर्वोच्च न्यायालय ने मुद्दों/विवाद को केवल प्रथम दृष्टया देखने के पक्ष में फैसला सुनाया है।

33. इस संदर्भ में आयोग ने सिफारिश की है

जहां तक हस्तक्षेप की प्रकृति का संबंध है, यह अनुशंसा की जाती है कि यदि न्यायालय/न्यायिक प्राधिकरण मध्यस्थता समझौते को चुनौती देने वाले तर्क के खिलाफ प्रथम दृष्टया संतुष्ट है, तो वह मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा और/या पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजेगा, जैसा भी मामला हो। संशोधन में परिकल्पना की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण पक्षकारों को केवल तभी मध्यस्थता के लिए नहीं भेजेगा जब वह पाएगा कि कोई मध्यस्थता समझौता मौजूद नहीं है या यह अमान्य है। यदि न्यायिक प्राधिकारी की राय है कि प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौता मौजूद है, फिर यह विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करेगा, और मध्यस्थता समझौते GARWARE WALL ROPES LTD का अस्तित्व छोड़ देगा।

वी. तटीय नौसेना

ऑनस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अंततः मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाना। हालांकि, अगर न्यायिक प्राधिकरण यह निष्कर्ष निकालता है कि समझौता मौजूद नहीं है, तो निष्कर्ष अंतिम होगा और प्रथम दृष्टया नहीं। संशोधन में यह भी परिकल्पना की गई है कि एक निर्णायक निर्धारण होगा कि मध्यस्थता समझौता अमान्य है या नहीं। यदि न्यायिक प्राधिकारी क्रमशः धारा 8 और 11 के तहत विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करता है और/या मध्यस्थ की नियुक्ति करता है, तो ऐसा निर्णय अंतिम और गैर-अपील योग्य होगा। याचिका दायर की जा सकती है

धारा 37 के तहत केवल मध्यस्थता के लिए पक्षों को संदर्भित करने से इनकार करने या मध्यस्थ नियुक्त करने से इनकार करने की स्थिति में रखा जाता है।

12. विधि आयोग की सिफारिशों के अनुसार, धारा ए) पहले अध्यादेश द्वारा और फिर 2015 के संशोधन द्वारा पेश की गई थी। उन वस्तुओं और कारणों का विवरण जो संलग्न किए गए थेमध्यस्थता और सुलह (संशोधन) विधेयक, 2015, जिसने संशोधन अधिनियम, 2015 को लागू किया, निम्नानुसार हैः

" उद्देश्यों और कारणों का विवरण

XXX XXX XXX

6. मध्यस्थता और सुलह शुरू करने का प्रस्ताव है

(मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अध्यादेश, 2015 को बदलने के लिए संशोधन) विधेयक, 2015, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के लिए प्रावधान करता है, अर्थात्: (i) "न्यायालय" की परिभाषा में संशोधन करना ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, न्यायालय उच्च न्यायालय होना चाहिए।

न्यायालय; ((ii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक भारतीय न्यायालय अंतरिम उपाय आदि प्रदान करने के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, यहां तक कि जहां मध्यस्थता का स्थान है।

भारत के बाहर;

((ग) मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन का निपटारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा, जैसा भी मामला हो, जितनी जल्दी हो सके किया जाएगा और इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए -

मध्यस्थ की नियुक्ति, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय प्रथम दृष्टया मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच करेगा। और अन्य मुद्दे नहीं; [2019] 5 एस. सी. आर.

(v) यह प्रावधान करने के लिए कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपना निर्णय इसके भीतर करेगा।

संदर्भ पर प्रवेश करने की तारीख से बारह महीने की अवधि और यह कि पक्षकार, हालांकि, ऐसी अवधि को छह महीने तक बढ़ा सकते हैं, जिसके बाद ही कोई विस्तार दिया जा सकता है।

न्यायालय द्वारा, पर्याप्त कारण पर;

(vi) यह उपबंध करने के लिए कि एक आदर्श शुल्क अनुसूची जिसके आधार पर उच्च न्यायालय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के शुल्क के निर्धारण के उद्देश्य से नियम बना सकते हैं, जहां एक उच्च न्यायालय मध्यस्थ की नियुक्ति करता है।

अधिनियम की धारा 11 की शर्तें;
((vii) यह प्रावधान करना कि विवाद करने वाले पक्ष किसी भी स्तर पर सहमत हो सकते हैं।

लिखित रूप में कि उनके विवाद को त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से हल किया जाए और ऐसे मामलों में निर्णय छह महीने की अवधि के भीतर किया जाए;

(viii) मध्यस्थों की तटस्थता का प्रावधान करना, जब किसी व्यक्ति से संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है।

(ix) पुरस्कार को चुनौती देने के लिए उस आवेदन को प्रदान करना है न्यायालय द्वारा एक वर्ष के भीतर निपटाया गया।

7. विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों से यह सुनिश्चित होगा कि मध्यस्थता प्रक्रिया अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल, लागत प्रभावी बने और

मामलों का शीघ्र निपटान।

XXX XXX "

13. विधि आयोग की रिपोर्ट को उद्देश्यों और कारणों के विवरण के साथ पढ़ने से पता चलता है कि विधि आयोग

यह महसूस किया गया कि एस. बी. पी. एंड कंपनी (ऊपर) और बोघरा पॉलीफैब (ऊपर) में निर्णयों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, जिसके परिणामस्वरूप, जहां तक धारा 11 का संबंध है,

संबंधित, उच्चतम न्यायालय या, जैसा भी मामला हो, उच्च न्यायालय, धारा 11 (4) से 11 (6) के तहत किसी भी आवेदन पर विचार करते समय खुद को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व की जांच तक सीमित रखना है।

और अन्य सभी प्रारंभिक मुद्दों को मध्यस्थ द्वारा तय करने के लिए छोड़ दें। सवाल यह है कि क्या एस. एम. एस. टी. एस्टेट्स (उपरोक्त) में निर्णय को धारा 11 (6ए) में निहित "किसी भी न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश के बावजूद" अभिव्यक्ति द्वारा भी समाप्त कर दिया गया है।

14. एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (उपरोक्त) में, इस न्यायालय का सामना एक मध्यस्थता खंड से किया गया था, जिसका नाम था, दो चाय बागानों के संबंध में 30 साल की अवधि के लिए दिनांकित पट्टा विलेख का खंड 35।

पट्टा विलेख गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड था। वी. कोस्टल मरीन इंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड [आर. एफ. नरीमन, जे.]

न तो मुहर लगी और न ही पंजीकृत। फैसले के पैराग्राफ 9 में कहा गया है कि

निम्नलिखित रूप में विचार के लिए उत्पन्न होने वाले आयनः

" 9. आग्रह किए गए विवादों पर विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न उठते हैंः

(i) क्या एक अपंजीकृत (लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकृत) लिखत में निहित एक मध्यस्थता समझौता मान्य है।

((ii) क्या एक अपंजीकृत लिखत में एक मध्यस्थता समझौता, जिस पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, वैध और लागू करने योग्य है? ((ग) क्या अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच कोई मध्यस्थता समझौता है और क्या मध्यस्थ को ऐसा करना चाहिए।

नियुक्त किया जाए? "

जब इसमें निहित मध्यस्थता खंड के प्रश्न की बात आई

पंजीकृत पट्टा विलेख, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 12. जब एक अनुबंध में एक मध्यस्थता समझौता होता है, तो यह एक

विवादों के समाधान से संबंधित संपार्श्विक अवधि, अनुबंध के प्रदर्शन से असंबंधित। मानो दो अनुबंध-एक मुख्य अनुबंध की मूल शर्तों के संबंध में और दूसरा विवादों के समाधान से संबंधित-सुविधा के उद्देश्यों के लिए एक में शामिल किए गए थे। इसलिए एक मध्यस्थता खंड अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौता है या

के अधीन या में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के उद्देश्य के लिए अनुबंध के साथ संबंध।

13. इसी तरह, जब हस्तांतरण के किसी लिखत या विलेख (या अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले दस्तावेज़) में मध्यस्थता होती है।

समझौता, यह विवादों के समाधान से संबंधित एक संपार्श्विक शब्द है, जो अचल संपत्ति को प्रभावित करने वाले हस्तांतरण या लेनदेन से असंबंधित है। यह ऐसा है जैसे कि दो दस्तावेज़-एक पंजीकरण की आवश्यकता वाली अचल संपत्ति को प्रभावित करता है और दूसरा उन विवादों के समाधान से संबंधित है जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत नहीं हैं-को एक ही दस्तावेज में शामिल किया जाता है। इसलिए, भले ही अचल संपत्ति के हस्तांतरण के विलेख को वैध या प्रवर्तनीय नहीं होने के रूप में चुनौती दी जाती है, मध्यस्थता समझौता उद्देश्य [2019] 5 एस. सी. आर. के लिए अप्रभावित रहेगा।

विलेख के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान का

स्थानांतरण।

14. इन सिद्धांतों को अब उप में वैधानिक मान्यता मिली है।

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 16 की धारा (1),

1996 जिसे नीचे निकाला गया हैः

" 16. इस पर निर्णय देने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण की क्षमता

अधिकार क्षेत्र। (1) मध्यस्थ न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र में निर्णय दे सकता है, जिसमें मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में किसी भी आपत्ति पर निर्णय देना शामिल है, और उसके लिए

उद्देश्य

(ए) एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है

अन्य शर्तों से स्वतंत्र समझौते के रूप में माना जाए

अनुबंध; और

(ख) मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय कि अनुबंध अमान्य है।

और शून्य में माध्यस्थम की अयोग्यता निहित नहीं होगी

खंड "।

15. लेकिन जहां अनुबंध या साधन अमान्य है

एक पक्ष का विकल्प (उदाहरण के लिए अनुबंध की धारा 19 के तहत)

स्वयं को मध्यस्थता समझौते से भी जोड़ सकते हैं, यदि कारण जो मुख्य समझौते को अमान्य बनाता है, के संबंध में मौजूद है

मध्यस्थता समझौता भी करना। उदाहरण के लिए, यदि

व्यक्ति

के खतरे में अपनी संपत्ति बेचने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बनाया जाता है

शारीरिक नुकसान या जीवन के लिए खतरा, और उक्त व्यक्ति अस्वीकार करता है

उस आधार पर समझौता, न केवल बिक्री के लिए समझौता, लेकिन उसमें कोई भी मध्यस्थता समझौता बाध्यकारी नहीं होगा।

16. मध्यस्थता समझौते के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती है।

पंजीकरण अधिनियम। भले ही यह किसी अनुबंध या लिखत में खंडों में से एक के रूप में पाया जाता है, यह एक स्वतंत्र समझौता है

मध्यस्थता के लिए विवाद, जो मुख्य अनुबंध से स्वतंत्र है

या यंत्र। अतः धारा के परंतुक को ध्यान में रखते हुए

49 अधिनियम की धारा 16 (1) (ए) के साथ पठित पंजीकरण अधिनियम, एक अपंजीकृत लेकिन अनिवार्य रूप से एक मध्यस्थता समझौता

मध्यस्थता द्वारा विवाद समाधान के उद्देश्य से पंजीकृत दस्तावेज पर कार्रवाई की जा सकती है और उसे लागू किया जा सकता है। गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड।

वी. तटीय नौसेना

ऑनस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

हालाँकि, जब यह एक अनस्टैम्प्ड लीज़ डीड की बात आई, जिसमें एक मध्यस्थता खंड था, तो इस न्यायालय ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 5 को निर्धारित करने के बाद कहाः

" 19. मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि मुद्रांक शुल्क और उपकरण के संबंध में देय जुर्माना का भुगतान नहीं किया जाता है,

न्यायालय लिखत पर कार्रवाई नहीं कर सकता है, जिसका अर्थ है कि वह मध्यस्थता समझौते पर भी कार्रवाई नहीं कर सकता है जो लिखत का हिस्सा है। मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 किसी अपंजीकृत व्यक्ति के संबंध में पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 से अलग और अलग है।

दस्तावेज़। मुद्रांक अधिनियम की धारा 35 में पंजीकरण अधिनियम की धारा 49 जैसा कोई प्रावधान नहीं है जो साधन को सक्षम बनाता है -

संपार्श्विक लेन-देन स्थापित करने के लिए उपयोग किया जाए।

आवश्यकता लगभग सभी उच्च न्यायालयों की योजना/नियमों में पाई जाती है। यदि जो प्रस्तुत किया जाता है वह मध्यस्थता खंड वाले समझौते/अनुबंध/लिखत की प्रमाणित प्रति है, तो उसे मूल पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क का खुलासा करना चाहिए। धारा 33 प्रत्येक न्यायालय पर एक कर्तव्य डालती है, अर्थात, एक व्यक्ति जिसे कानून द्वारा साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है (साथ ही प्रत्येक मध्यस्थ जिसे पक्षों की सहमति से साक्ष्य प्राप्त करने का अधिकार है) जिसके समक्ष कर्तव्य के साथ प्रभार्य एक अपंजीकृत लिखत प्रस्तुत की जाती है, यह पता लगाने के लिए कि क्या उस पर विधिवत मुहर लगी है। यदि अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो उसे दस्तावेज़ को जब्त करना होगा और डाक टिकट अधिनियम की धारा 38 के अनुसार इससे निपटना होगा। 21. इसलिए, जब किसी पट्टा विलेख या किसी अन्य लिखत पर मध्यस्थता समझौते का प्रतिवाद करने के लिए भरोसा किया जाता है, तो अदालत को शुरू में ही विचार करना चाहिए कि क्या उस ओर से कोई आपत्ति उठाई गई है या नहीं, क्या दस्तावेज़ पर ठीक से मुहर लगाई गई है। यदि यह इस निष्कर्ष पर आता है कि इस पर ठीक से मुहर नहीं लगी है, तो यह होना चाहिए

स्टाम्प अधिनियम की धारा 38 में निर्दिष्ट तरीके से जब्त और निपटाया गया। न्यायालय ऐसे दस्तावेज़ या उसमें मध्यस्थता खंड पर कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन अगर घाटे के शुल्क और जुर्माने का भुगतान [2019] 5 एस. सी. आर. की धारा 35 या धारा 40 में निर्धारित तरीके से किया जाता है।

स्टाम्प एक्ट, दस्तावेज़ पर कार्रवाई की जा सकती है या सबूत में स्वीकार किया जा सकता है।

22. इसलिए हम अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का सारांश दे सकते हैं जहां मध्यस्थता खंड एक दस्तावेज में निहित है जो पंजीकृत नहीं है (लेकिन अनिवार्य रूप से पंजीकृत है) और जो विधिवत नहीं है।

मोहर लगीः

22.1 . अदालत को किसी भी दस्तावेज़ को साक्ष्य में स्वीकार करने या ऐसे दस्तावेज़ पर कार्रवाई करने से पहले, यह जांचना चाहिए कि क्या उपकरण/दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगी है और क्या यह एक ऐसा उपकरण है जो अनिवार्य रूप से पंजीकृत है। 22.2 . यदि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो डाक टिकट अधिनियम की धारा 35 उक्त दस्तावेज़ पर कार्रवाई करने से रोकती है।

नतीजतन, उसमें मध्यस्थता खंड पर भी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। पर। इसके बाद अदालत को स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 के तहत दस्तावेज़ को जब्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 और 38 के तहत प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

22.3 . यदि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगी हुई पाई जाती है, या यदि घाटे के स्टाम्प शुल्क और जुर्माने का भुगतान या तो अदालत के समक्ष या कलेक्टर के समक्ष किया जाता है (जैसा कि स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 या 40 की धारा में विचार किया गया है), और घाटे के संदर्भ में दोष ठीक हो जाता है, तो अदालत दस्तावेज़ को विधिवत मुहर लगी हुई मान सकती है। XXX XXX "

अंत में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 32. उपरोक्त इस अपील को देखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को पहले इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए गुवाहाटी उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया जाता है स्टाम्प शुल्क का, और यदि दस्तावेज़ पर विधिवत मुहर लगी है, तो नियुक्त करें

कानून के अनुसार एक मध्यस्थ।

15. उपरोक्त निर्णय से यह ध्यान दिया जाएगा कि जहां एक समझौते या हस्तांतरण में एक अनुच्छेद खंड निहित है, अलग-अलग

शर्त इस बात पर निर्भर करती है कि समझौता या परिवहन पंजीकृत है या नहीं। एस. बी. पी. एंड कंपनी (उपर्युक्त) द्वारा यह तय किया गया है कि 1996 के अधिनियम की धारा 16 पर धारा 11 के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, मध्यस्थता न्यायाधिकरण के लागू होने के बाद ही इसका पूरा उपयोग किया जा सकता है। यह न्यायालय,

उपरोक्त निर्णय में कहा गयाः

गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड। वी. तटीय नौसेना

ऑनस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 12. अधिनियम की धारा 16 केवल वही स्पष्ट करती है जो अन्यथा भी निहित है, अर्थात्, अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता पर शासन करने का अधिकार क्षेत्र है।

मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व या वैधता के संबंध में आपत्तियों पर निर्णय सहित। उप-धारा (1) यह भी निर्देश देती है कि एक मध्यस्थता खंड जो एक अनुबंध का हिस्सा है, उसे अनुबंध की अन्य शर्तों से स्वतंत्र एक समझौते के रूप में माना जाएगा।

यह यह भी स्पष्ट करता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का यह निर्णय कि अनुबंध अमान्य है, न्यायिक रूप से मध्यस्थता खंड की अयोग्यता को लागू नहीं करेगा। धारा 16 की उप-धारा (2) में आदेश दिया गया है कि एक पक्ष यह याचिका दायर करना चाहता है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण ऐसा नहीं करता है अधिकारिता रखने वाले को उस आपत्ति को बचाव पक्ष का बयान प्रस्तुत करने के बाद नहीं उठाना होगा, और यह कि पक्षकार को केवल इसलिए अधिकारिता की याचिका उठाने से रोका नहीं जाएगा क्योंकि उसने मध्यस्थ की नियुक्ति में भाग लिया है या भाग लिया है। उप-धारा (3) में कहा गया है कि एक याचिका कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण अपने अधिकार के दायरे से अधिक है, जैसे ही मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान अपने अधिकार के दायरे से बाहर होने का आरोप लगाया जाता है, उठाया जाएगा। जब न्यायाधिकरण ये निर्णय लेता है

दो प्रश्न, अर्थात् अधिकारिता का प्रश्न और प्राधिकरण के दायरे को पार करने का प्रश्न या उनमें से कोई एक ही प्रश्न है - अपील में तत्काल चुनौती के लिए खुला, जब आपत्ति बरकरार रखी जाती है और केवल अंतिम पुरस्कार के खिलाफ अपील में, जब आपत्ति को खारिज कर दिया जाता है। उप-धारा (5) में आदेश दिया गया है कि यदि मध्यस्थता न्यायाधिकरण उप-धारा (2) या (3) के तहत आपत्तियों को खारिज करता है, तो उसे मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखनी चाहिए और मध्यस्थता पुरस्कार देना चाहिए। उप-धारा (6) में यह प्रावधान है कि कोई पक्ष इससे व्यथित है

अधिकारिता की कमी और अधिकार के दायरे से अधिक होने पर याचिका को खारिज करने वाला एक मध्यस्थ पुरस्कार, इन आधारों पर पुरस्कार को अलग करने के लिए आवेदन कर सकता हैः अधिनियम की धारा 34। धारा 11 की उप-धारा (7) के संदर्भ में प्रश्न यह है कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अपनी अधिकारिता और धारा 16 (1) द्वारा परिकल्पित मध्यस्थता खंड के अस्तित्व पर निर्णय देने के अधिकार का क्या दायरा है, जब मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति ने खुद को संतुष्ट करने के बाद एक मध्यस्थ नियुक्त किया था कि मामले में मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति के प्रयोग के लिए शर्तें मौजूद हैं। प्रथम दृष्टया, यह कहना कठिन होगा कि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (7) द्वारा प्रदत्त अंतिमता के बावजूद, 5 एस. सी. आर. के ऐसे निर्णय के लिए।

मुख्य न्यायाधीश, मध्यस्थ न्यायाधिकरण अभी भी उस निर्णय के पीछे जा सकता है और अपनी अधिकारिता या मध्यस्थता खंड के अस्तित्व पर निर्णय दे सकता है। हमें यह कहना भी असंगत प्रतीत होता है

कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण नियुक्त किए जाने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण यह कह सकता है कि मुख्य न्यायाधीश के पास न्यायाधिकरण नियुक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र या अधिकार नहीं था, जो कि इसके निर्माता, मुख्य न्यायाधीश द्वारा शक्ति के प्रयोग से अस्तित्व में लाया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री के. के. वेणुगोपाल का यह तर्क कि धारा 16 का पूरा उपयोग केवल तभी होता है जब अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत हस्तक्षेप के बिना एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, उस प्रावधान को अधिनियम की धारा 11 के साथ, विशेष रूप से उसकी उप-धारा (7) के संदर्भ में, मिलान करने का एक तरीका है। हमारा विचार है कि अधिकारिता और एक वैध मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व के मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश का निर्णय पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा जब मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण में जाता है और कार्यवाही के बाद के चरणों में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा निर्णय के मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील को छोड़कर।

प्रत्यर्थी कि धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि एक मध्यस्थता समझौते का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और 1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय इसे लागू किया जाना चाहिए। 16. यह देखा जाएगा कि न तो उद्देश्यों और कारणों के विवरण में और न ही विधि आयोग की रिपोर्ट में इसका कोई उल्लेख है।

एस. एम. एस. चाय संपदा (ऊपर)। यह बहुत अच्छे कारण के लिए है कि

उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय, धारा 11 के आवेदन पर निर्णय लेते समय, किसी भी तरह से, पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रारंभिक प्रश्न का निर्णय नहीं करता है। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय केवल एक अनिवार्य अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बना रहा है, जो निस्संदेह राजस्व की रक्षा के लिए है। एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (उपरोक्त) ने भारतीय स्टाम्प अधिनियम में निहित अनिवार्य प्रावधानों को ध्यान में रखा है और उन्हें न्यायिक अधिकारियों पर लागू किया है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और धारा 11 के तहत कार्य करने वाला उच्च न्यायालय शामिल होगा। धारा 11 (6ए) पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि जब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय धारा 11 (4) से 11 (6) के तहत किसी आवेदन पर विचार करता है, और किसी समझौते या हस्तांतरण में एक मध्यस्थता खंड सामने आता है, जिस पर मुहर नहीं लगी होती है, तो भारतीय स्टाम्प अधिनियम के प्रावधानों द्वारा पहले गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड को जब्त करने का आदेश दिया जाता है।

समझौता या हस्तांतरण और यह देखना कि समग्र रूप से समझौते से पहले स्टाम्प शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाता है, उस पर कार्रवाई की जा सकती है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम समग्र रूप से समझौते या परिवहन पर लागू होता है। इसलिए, ऐसे समझौते या हस्तांतरण में निहित मध्यस्थता खंड को विभाजित करना संभव नहीं है ताकि इसे एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया जा सके, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा तर्क दिया गया है। स्वतंत्र अस्तित्व जो निश्चित रूप से दिया जा सकता है

सीमित उद्देश्यों के लिए, पंजीकरण अधिनियम, 1908 और 1996 के अधिनियम के सामंजस्यपूर्ण अध्ययन पर रवींद्रन, जे. द्वारा एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (ऊपर) में संदर्भित किया गया है जब यह एक अपंजीकृत समझौते या परिवहन की बात आती है। हालाँकि, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, जिसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 49 में निहित है, उक्त निर्णय द्वारा समझौते या हस्तांतरण पर लागू होने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

समग्र, जिसमें उसमें निहित मध्यस्थता खंड शामिल होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 11 (6ए) का प्रवर्तन, किसी भी तरह से, एस. एम. एस. टी. में दिए गए निर्णय के आधार से संबंधित नहीं है या उससे आगे नहीं जाता है।

संपदा (उपर्युक्त), जो धारा 11 (6ए) के संशोधन के बाद भी लागू रहती है।

17. थोड़ा अलग कोण से देखा गया, एक मध्यस्थता

समझौता जो किसी समझौते या हस्तांतरण में निहित है, 1996 के अधिनियम की धारा 7 (2) में वर्णित है। हम वर्तमान मामले के तथ्यों पर धारा 7 (2) के पहले भाग से चिंतित हैं, और इसलिए, विचाराधीन उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड है -

वर्तमान अपील का विषय। यह महत्वपूर्ण है कि एक मध्यस्थता समझौता "एक अनुबंध में" मध्यस्थता खंड के रूप में हो सकता है।

18. भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 ["अनुबंध अधिनियम"] की धारा 2 (ए), 2 (बी), 2 (जी) और 2 (एच) निम्नानुसार हैः

" 2. व्याख्या खंड। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्द और

अभिव्यक्तियों का उपयोग निम्नलिखित अर्थों में किया जाता है, जब तक कि इसके विपरीत न हो।

इरादा संदर्भ से प्रकट होता हैः

(क) जब एक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ भी करने या करने से दूर रहने की अपनी इच्छा का संकेत देता है, तो ऐसे कार्य या संयम के लिए उस दूसरे की सहमति प्राप्त करने की दृष्टि से, उसे कहा जाता है -

एक प्रस्ताव बनाएँ;

(ख) जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव दिया जाता है, सूचित करता है कहा जाता है कि उसकी सहमति से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। एक प्रस्ताव,

जब स्वीकार किया जाता है, तो यह एक वादा बन जाता है।

(छ) कानून द्वारा लागू नहीं किए जाने वाले समझौते को अमान्य कहा जाता है;

(ज) कानून द्वारा लागू करने योग्य समझौता एक अनुबंध है;

XXX XXX "

19. जब एक मध्यस्थता खंड "एक अनुबंध में" निहित होता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि समझौता केवल एक अनुबंध बन जाता है जब यह लागू करने योग्य होता है।

कानून द्वारा। हमने देखा है कि कैसे, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत, एक समझौता एक अनुबंध नहीं बन जाता है, अर्थात्, यह कानून में लागू करने योग्य नहीं है, जब तक कि उस पर विधिवत मुहर नहीं लगाई जाती है। इसलिए, धारा 11 (6 ए) को जब 1996 के अधिनियम की धारा 7 (2) और अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (एच) के साथ पढ़ा जाता है, तो भी यह स्पष्ट हो जाता है कि एक मध्यस्थता खंड

समझौता तब मौजूद नहीं होगा जब यह कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। यह भी एक संकेतक है कि एस. एम. एस. टी एस्टेट्स (उपरोक्त) को किसी भी तरह से लागू नहीं किया गया है। धारा 11 (6 ए) के संशोधन से प्रभावित।

20. अब हम दोनों द्वारा उद्धृत कुछ निर्णयों पर आते हैं

पक्ष।

21. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने बहुत अधिक भरोसा किया

एनरकॉन (इंडिया) लिमिटेड और अन्य। वी. एनरकॉन जी. एम. बी. एच. और ए. एन. आर. , (2014) 5

एस. सी. सी. 1 ["एनरकॉन"], विशेष रूप से, पैराग्राफ 83, जो इस प्रकार हैः

" 83. मध्यस्थता खंड की पृथकता की अवधारणा /

इसके बाद एक दूसरा अनुबंध होता है, जो व्यक्त करता है समझौता और मध्यस्थता के माध्यम से अंतर्निहित अनुबंध से संबंधित विवादों को हल करने के लिए पक्षों का इरादा। सामान्य दीवानी अदालत के उपचार के बाहर पक्षों द्वारा एक उपाय चुना जाता है। यह सच है कि मध्यस्थता की सफलता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय न्यायालयों के समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन यह संपार्श्विक मध्यस्थता समझौते की वैधता या स्वतंत्रता से विचलित नहीं होगा, भले ही यह किसी अनुबंध में निहित हो, जिसे अमान्य या अमान्य होने का दावा किया जाता है।

किसी एक पक्ष द्वारा अमान्य या असंबद्ध "। गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड।

पैराग्राफ 83 फैसले के पैराग्राफ 79 का अनुसरण करता है, जो इस प्रकार हैः

" 79. हमारी राय में, एक निष्कर्षित अनुबंध के अस्तित्व के बारे में अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी मुद्दे महत्वहीन हो जाते हैं।

"प्रस्तावित आई. पी. एल. ए. दिनांक 23-5-2006 पर समझौते के प्रमुखों" के सामने। समझौते के प्रमुखों के खंड 3 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं - इसके अंतर्गतः

" 3. शासी कानून और अधिकार क्षेत्र

3.1 यह अनुच्छेद कानूनी रूप से बाध्यकारी है।

3.2 समझौते के ये प्रमुख हैं (और आई. पी. एल. ए. के संबंध में तैयार की गई सभी बातचीत और कोई भी कानूनी समझौते)

द्वारा शासित और इसके अनुसार समझा जाएगा

जर्मनी का कानून।

3.3 पक्ष इस बात पर अटल रूप से सहमत हैं कि प्रस्तावित आई. पी. एल. ए. के मसौदे का खंड 18 प्रस्तावित आई. पी. एल. ए. से संबंधित इस समझौता ज्ञापन और वार्ता से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या दावे को निपटाने के लिए लागू होगा।

इस खंड के एक खाली अवलोकन से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पक्षकार इस बात पर अटल रूप से सहमत हुए हैं कि प्रस्तावित आई. पी. एल. ए. का खंड 18 इस समझौता ज्ञापन से या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद या दावे को निपटाने के लिए लागू होगा और

आई. पी. एल. ए. से संबंधित वार्ता "।

एनरकॉन (उपरोक्त) में ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि क्या कोई मध्यस्थता खंड लागू होगा, भले ही कोई अनुबंध नहीं किया गया हो।

दलों के बीच। चूंकि "समझौते के प्रमुखों" ने प्रावधान किया कि बौद्धिक संपदा लाइसेंस समझौते (आई. पी. एल. ए.) से संबंधित समझौता ज्ञापन और बातचीत से उत्पन्न होने वाले विवाद मध्यस्थता योग्य थे, इसलिए इस न्यायालय ने माना कि उस मामले के तथ्यों में मध्यस्थता समझौता मुख्य अनुबंध से अलग था, जिससे यह एक ऐसा मामला बन जाता है जो धारा 7 (2) के दूसरे भाग (और पहले भाग के तहत नहीं) के तहत आता है, अर्थात् एक मध्यस्थता समझौता एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। इसलिए, यह निर्णय नहीं लेता है

उत्तरदाता बहुत आगे। यह केवल ध्यान दिया जा सकता है कि आशापुरा माइन-केम लिमिटेड बनाम में निर्णय। गुजरात खनिज विकास

निगम, (2015) 8 एस. सी. सी. 193 ने केवल एनरकॉन (उपरोक्त) का अनुसरण किया और हमारे द्वारा ऊपर उल्लिखित कारणों के लिए लागू नहीं होगा।

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

22. प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा जिस अन्य निर्णय पर दृढ़ता से भरोसा किया गया है, वह है ड्यूरो फेलगुएरा, एस. ए. बनाम। गंगावरम पोर्ट लिमिटेड,

(2017) 9 एस. सी. सी. 729 ["ड्यूरो फेलगुएरा"], और विशेष रूप से, कुरियन जोसेफ के फैसले के पैराग्राफ 59, जे. पैराग्राफ 59 इस प्रकार हैः

" 59. 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत शक्ति का दायरा एस. बी. पी. और कंपनी में निर्णयों को देखते हुए काफी व्यापक था।

[एस. बी. पी. एंड कं. वी. पटेल एंग। लिमिटेड, (2005) 8 एस. सी. सी. 618] और

बोघारा पॉलीफैब [राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम। बोघारा पॉलीफैब (पी) लिमिटेड, (2009) 1 एससीसी 267: (2009) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 117] यह स्थिति 2015 में लाए गए संशोधन तक जारी रही।

संशोधन के बाद, अदालतों को केवल यह देखने की आवश्यकता है कि क्या एक मध्यस्थता समझौता मौजूद है-कुछ भी अधिक नहीं, कुछ भी कम नहीं। विधायी नीति और उद्देश्य अनिवार्य रूप से न्यायालय के निर्णय को कम करना है।

मध्यस्थ की नियुक्ति के स्तर पर हस्तक्षेप और धारा 11 (6-ए) में शामिल इस इरादे का सम्मान किया जाना चाहिए।

इस निर्णय से यह भी स्पष्ट होता है कि धारा 11 (6 ए) को लागू करके जिस गड़बड़ी को दूर करने की मांग की गई थी, वह इसमें निहित थीः

एस. बी. पी. एंड कंपनी (ऊपर) और बोघारा पॉलीफैब (ऊपर) के निर्णय। यह निर्णय किसी भी तरह से हमारे सामने मौजूद सटीक मुद्दे का जवाब नहीं देता है।

23. वास्तव में, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य में। वी.

हुंडई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और अन्य। , 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1045 ["यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी"], इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने एक बीमा पॉलिसी के तहत उत्पन्न मध्यस्थता खंड पर विचार करते हुए, ड्यूरो फेलगुएरा (उपरोक्त) को इस रूप में प्रतिष्ठित किया निम्नलिखित हैः

" 12. दूसरे निर्णय पर उच्च न्यायालय और ड्यूरो फेलगुएरा [ड्यूरो फेलगुएरा] में उत्तरदाताओं द्वारा भी बहुत अधिक भरोसा किया गया था।

एस. ए. वी. गंगावरम पोर्ट लिमिटेड, (2017) 9 एस. सी. सी. 729], का कोई लाभ नहीं होगा। सबसे पहले, क्योंकि यह दो-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है और यह भी कि न्यायालय को बीमा पॉलिसी विषय के खंड 7 के संदर्भ में वर्तमान मामले में उत्पन्न होने वाले प्रश्न पर विचार करने के लिए नहीं

कहा गया था। इस निर्णय में व्याख्या संशोधित प्रावधान के प्रभाव के बारे में एक सामान्य अवलोकन है और विचाराधीन मुद्दे के लिए विशिष्ट नहीं है। इस मुद्दे के तहत ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड [ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड] मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सीधे विचार किया है। नरभेरम पावर एंड स्टील (पी)

डी। , (2018) 6 एस. सी. सी. 534], वल्कन सुरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम में प्रदर्शनी के बाद। महाराज सिंह [वल्कन बीमा कंपनी डी। वी. महाराज सिंह, (1976) 1 एस. सी. सी. 943], जो, फिर से, एक री-जज बेंच का निर्णय है जिसका अर्थ खंड के समान हैबीमा पॉलिसी का विषय खंड 7। वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) के पैराग्राफ 11 और 2 में अदालत ने जवाब दिया

ई मुद्दा इस प्रकार हैः

कंपनी को किसी कारण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी दावे की अस्वीकृति और न ही इसमें किसी का उल्लेख किया गया था। लेकिन द.

दावे का खंडन प्रत्यर्थी द्वारा कथित रूप से किसी भी नुकसान या क्षति की राशि के बारे में विवाद को उठाने के बराबर नहीं हो सकता है। यदि बीमित व्यक्ति द्वारा किए गए दावे की अस्वीकृति इस आधार पर हो कि आग के परिणामस्वरूप उसे कोई नुकसान नहीं हुआ था या नुकसान की राशि उसके द्वारा दावा की गई सीमा तक नहीं थी, तो और तभी, अंतर पैदा हो सकता था।

खंड 18 के अर्थ के भीतर कोई हानि या क्षति। में।

हालाँकि, इस मामले में, कंपनी ने प्रतिवादी 1 द्वारा दावा की गई किसी भी हानि या क्षति का भुगतान करने के अपने दायित्व को अस्वीकार कर दिया। दूसरे शब्दों में, कंपनी द्वारा उठाया गया विवाद संबंधित था -

हानि की किसी भी राशि का भुगतान करने का दायित्व। इसलिए, हमारी राय में, अपीलार्थी कंपनी द्वारा उठाया गया विवाद मध्यस्थता खंड के दायरे में नहीं आया था।

12. द्वारा दावे की अस्वीकृति पर खंड 13 के अनुसार

कंपनी एक कार्रवाई या मुकदमा, जिसका अर्थ है कानूनी

कार्यवाही जो भारत में लगभग निश्चित रूप से होगी

सूट की प्रकृति, तीन के भीतर शुरू की जानी चाहिए

इस तरह की अस्वीकृति की तारीख से महीने; अन्यथा, सभी पॉलिसी के तहत लाभ जब्त कर लिए जाते हैं। की अस्वीकृति

दावा खंड 13 के पहले भाग में बताए गए कारणों के लिए हो सकता है, जैसे कि झूठी घोषणा, धोखाधड़ी या दावेदार की जानबूझकर उपेक्षा या किसी अन्य आधार पर खुलासा या अप्रकट। लेकिन जैसे ही दावे की अस्वीकृति होती है, न कि [2019] 5 एस. सी. आर.।

किसी भी नुकसान या क्षति की राशि के बारे में विवाद को उठाना, दावेदार के लिए एकमात्र उपाय कानूनी कार्रवाई शुरू करना है। कंपनी के दायित्व की स्थापना के लिए कार्यवाही, अर्थात् एक मुकदमा। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि इस तरह के मुकदमे में कंपनी की देयता स्थापित होने के बाद, की मात्रा के निर्धारण के लिए

मध्यस्थता के लिए हानि या क्षति के संदर्भ का खंड 18 के अनुसार सहारा लेना होगा। लेकिन मध्यस्थता खंड, प्रतिबंधित है क्योंकि यह शब्दों के उपयोग से है यदि कोई हो अंतर किसी भी नुकसान या क्षति की राशि के रूप में उत्पन्न होता है, कंपनी के दायित्व के रूप में विवाद को अपने व्यापक दायरे में नहीं ले सकता है जब वह किसी भी नुकसान का भुगतान करने से इनकार करती है।

XXX XXX XXX 14. अधिकारियों की लाइन से, यह स्पष्ट है कि मध्यस्थता खंड की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उपरोक्त) में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा विचार की गई पॉलिसी के खंड 13 के समान सामग्री वाला विषय खंड 7 है -

केवल तभी सशक्त करें जब बीमाकर्ता संबंधित पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में अपने दायित्व को स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। यह स्पष्ट रूप से खंड 7 के प्रारंभिक भाग के साथ-साथ दूसरे में भी व्यक्त किया गया है। उसी खंड का अनुच्छेद। प्रारंभिक भाग में, यह कहा गया है कि "(दायित्व अन्यथा स्वीकार किया जा रहा है)"। इसे दूसरे पैराग्राफ में निम्नलिखित शब्दों में मजबूत और फिर से कहा गया हैः

" यह स्पष्ट रूप से सहमत और समझा जाता है कि कोई भी अंतर या विवाद मध्यस्थता के लिए संदर्भित नहीं होगा जैसा कि पहले प्रदान किया गया है, यदि कंपनी ने इसके तहत या इसके तहत दायित्व को विवादित या स्वीकार नहीं किया है।

इस नीति का सम्मान करें "।

15. इस प्रकार समझा जाता है कि ऐसे मामलों में कोई मध्यस्थता नहीं हो सकती है जहां बीमा कंपनी विवाद करती है या पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में देयता को स्वीकार नहीं करती है। 16. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 21 अप्रैल, 2011 को भेजा गया संचार अस्वीकृति और गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड की अपवादात्मक श्रेणी में आता है।

वी. तटीय नौसेना

ऑनस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी के तहत या उसके संबंध में दायित्व की स्वीकृति का प्रभाव है और यह मात्रा के विवाद तक सीमित है। उच्च न्यायालय ने इस पहलू की जांच करने का कोई प्रयास नहीं किया है। इसने केवल नीति के खंड 7 को पुनः प्रस्तुत किया और ड्यूरो फेलगुएरा (ऊपर) में दिए गए कथन के संदर्भ में कहा। कि उस संबंध में न्यायालय द्वारा कोई अन्य जांच नहीं की जा सकती है। यह उक्त निर्णय और संशोधित प्रावधान का गलत अध्ययन है और विशेष रूप से, वल्कन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ऊपर) में इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसलों का गलत अनुप्रयोग है।

खंड 7 के संदर्भ में मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट किया जाए। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं द्वारा की गई याचिका संयुक्त उद्यम द्वारा दावा किए गए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने के अपने दायित्व से इनकार करने की है, जो अपवादात्मक श्रेणी में आता है। इस प्रकार मध्यस्थता खंड को अप्रभावी और लागू करने में असमर्थ बनाना, यदि अस्तित्व में नहीं है। इसे इस तरह से लागू नहीं किया जाता है ताकि मध्यस्थता का संदर्भ दिया जा सके। दूसरे शब्दों में, अपीलकर्ताओं की याचिका एक अपवादात्मक श्रेणी में आने के बारे में है और गैर -

खंड 7 के प्रारंभिक भाग के अर्थ के भीतर और उसी खंड के दूसरे पैराग्राफ में फिर से बताए गए मध्यस्थ मामले।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि विचाराधीन विवाद गैर-मध्यस्थ और प्रतिवादी संख्या। 1 & 2 सूट के उपचार का सहारा लेना चाहिए था। प्रत्यर्थी की याचिका संख्या। 1 & 2 अपीलार्थियों द्वारा व्यक्त अंतिम अस्वीकृति के बारे में

17 अप्रैल, 2017 की सूचना का कोई लाभ नहीं होगा। हालाँकि, क्या उस तथ्य को कार्रवाई के कारण के रूप में लिया जा सकता है

मुकदमे की स्थापना एक ऐसा मामला है जिस पर उन कार्यवाहियों में बहस की जा सकती है। यह नहीं समझा जा सकता है कि हमने इस संबंध में किसी भी तरह से कोई राय व्यक्त की है।

(मूल में जोर)

19] 5 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

24. यह निर्णय इस मायने में महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से इसके तहत क्या था

प्रतिफल एक मध्यस्थता खंड था जो केवल तभी सक्रिय होगा जब कोई बीमाकर्ता दायित्व स्वीकार करता है या स्वीकार करता है। चूंकि तथ्यों पर यह पाया गया कि बीमाकर्ता ने दावे को अस्वीकार कर दिया, हालांकि एक मध्यस्थता खंड "मौजूद" था, इसलिए बोलने के लिए, पॉलिसी में, यह कानून में मौजूद नहीं होगा, जैसा कि उस निर्णय में माना गया था, जब एक महत्वपूर्ण तथ्य पेश किया जाता है, अर्थात्, बीमाकर्ता ने दायित्व को स्वीकार या स्वीकार नहीं किया है। इसी तरह, वर्तमान मामले के तथ्यों में, यह स्पष्ट है कि उप-अनुबंध में निहित मध्यस्थता खंड तब तक कानूनी मामले के रूप में "मौजूद" नहीं होगा जब तक कि उप-अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लग जाती, जैसा कि हम ऊपर मान चुके हैं। यह तर्क कि धारा 11 (6ए) "अस्तित्व" से संबंधित है, धारा 8, धारा 16 और धारा 45 के विपरीत, जो एक मध्यस्थता समझौते की "वैधता" से संबंधित है

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी (उपरोक्त) में अभिव्यक्ति "अस्तित्व" की इस अदालत की समझ द्वारा उत्तर दिया गया, जैसा कि हमारे द्वारा अनुसरण किया गया है।

25. इस संदर्भ में उच्च न्यायालय के अन्य फैसलों पर भरोसा किया गया था।

ऑन लाइन कर 2938। इस निर्णय में हमारी धारणा को ध्यान में रखते हुए, इन निर्णयों ने कानून को सही घोषित नहीं किया है, और परिणामस्वरूप, खारिज कर दिया गया है। गौतम मामले में बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का हालिया फैसला लैंडस्केप्स प्रा. लिमिटेड वी. शैलेश शाह और ओआरएस। , अरब। पेट। 2017 की संख्या 466 [04.04.2019 पर तय] को भी हमारे ध्यान में लाया गया है। उसके पैराग्राफ 120 में, पूर्ण पीठ ने अपने द्वारा बनाए गए दो प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दियाः

जैसा कि हमारे द्वारा निम्नानुसार तैयार किया गया हैः (1) क्या न्यायालय, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत,

1996 , किसी भी अंतरिम या विज्ञापन-अंतरिम राहत का मनोरंजन और अनुदान दे सकते हैं

मध्यस्थता खंड को शामिल करना अप्रचलित या अपर्याप्त है मोहर लगी?

सकारात्मक में

(2) क्या, अन्य बातों के साथ-साथ, मध्यस्थता की धारा 11 (6ए) को देखते हुए

और सुलह अधिनियम, 1996, मध्यस्थता और सुलह गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड द्वारा अंतःस्थापित किया गया।

(संशोधन) अधिनियम, 2016, यह न्यायालय के लिए आवश्यक होगा।

किसी आवेदन पर विचार करने और अंतिम आदेश पारित करने से पहले

डाक टिकट द्वारा निर्णय की प्रतीक्षा करने के लिए अधिनियम की धारा 11 (6)

अधिकारी, एक मामले में जहां दस्तावेज़ पर आपत्ति जताई गई है, नहीं है

पर्याप्त रूप से मुहर लगी है?

नकारात्

मक में "

प्रश्न (2) का उत्तर हमारे निर्णय के विपरीत दिया गया है।

गलत तरीके से निर्णय लिया गया।

26. प्रत्यर्थी के लिए विद्वान वकील ने धारा पर दृढता से भरोसा किया

11 (13) 1996 के अधिनियम का यह दर्शाने के लिए कि 60-दिन की अवधि का उल्लंघन किया जाएगा यदि किसी दस्तावेज़ को धारा 11 (6) आवेदन के चरण में जब्त किया जाता है। स्टाम्प शुल्क, जब जुर्माने (यदि कोई हो) के साथ भुगतान किया जाता है, तो स्टाम्प प्राधिकरणों द्वारा निर्णय की आवश्यकता होगी, जिसमें धारा 11 (13) द्वारा निर्धारित 60 दिनों की अवधि से कहीं अधिक समय लगेगा। निस्संदेह, धारा 11 (13), जिसे 2016 के संशोधन अधिनियम 3 द्वारा भी प्रस्तुत किया गया था, 1996 के अधिनियम के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक को ध्यान में रखते हुए अधिनियमित किया गया था, अर्थात्, मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा विवादों का त्वरित निपटान और एक मध्यस्थ की नियुक्ति को यथासंभव शीघ्रता से किया जाना चाहिए। इस प्रकार, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम और 1996 अधिनियम की धारा 11 (13) के प्रावधानों को एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण दिए जाने की आवश्यकता है, जिसके द्वारा, यदि संभव हो, तो दोनों प्रावधानों को कम किया जाना चाहिए। हम पहले ही देख चुके हैं कि महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत, एक ऐसे उपकरण को जब्त करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी प्राधिकरण द्वारा कार्रवाई करने से पहले ऐसे उपकरण पर स्टाम्प शुल्क और जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाना चाहिए। इसी तरह, 1996 के अधिनियम की धारा 11 (13) के तहत,

मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए धारा 11 के तहत किए गए आवेदन का यथासंभव शीघ्रता से निपटान किया जाना चाहिए, और किसी भी स्थिति में,

इस तरह के आवेदन को नोटिस की सेवा की तारीख से कम से कम 60 दिनों की अवधि के भीतर निपटाने का प्रयास किया जाएगा।

पार्टी।

27. विधियों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत दृढता से है

हमारे व्याख्यात्मक सिद्धांत में निहित। श्री वेंकटरमण देवरू बनाम। मैसूर राज्य, [1958] एस. सी. आर. 895, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का सामंजस्य इस प्रकार सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करके किया गया थाः

" तब परिणाम यह होता है कि समान अधिकार के दो प्रावधान हैं, उनमें से कोई भी दूसरे के अधीन नहीं है। सवाल यह है कि कैसे [2019] 5 एस. सी. आर.

उनके बीच स्पष्ट संघर्ष को हल किया जाना है। का नियम

निर्माण अच्छी तरह से तय किया गया है कि जब एक अधिनियम में हैं

दो प्रावधान जिनका एक दूसरे के साथ मिलान नहीं किया जा सकता है, वे

इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि, यदि संभव हो तो प्रभाव दिया जा सकता है

दोनों। इसे सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम के रूप में जाना जाता है। इस नियम को लागू करना, यदि अपीलार्थियों का तर्क होना है -

तब अनुच्छेद 25 (2) (बी) पूरी तरह से अमान्य हो जाएगा हालाँकि, जैसा कि ऊपर बताया गया है, संप्रदाय के मंदिरों के लिए आवेदन,

उस अनुच्छेद की भाषा में वे शामिल हैं। दूसरी ओर, यदि

उत्तरदाताओं के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, फिर पूर्ण प्रभाव हो सकता है धर्म के सभी मामलों में अनुच्छेद 26 (बी) को दिया जाएगा, केवल इसके अधीन

यह कि उनके एक पहलू के संबंध में, एक मंदिर में प्रवेश के लिए

पूजा, अनुच्छेद 25 (2) (बी) के तहत घोषित अधिकार प्रबल होंगे।

जबकि, पहले वाले मामले में, अनुच्छेद 25 (2) (बी) को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा।

और अनुच्छेद 26 (बी)। हमें तदनुसार यह मानना चाहिए कि अनुच्छेद 26 (बी) इसे अनुच्छेद 25 (2) (बी) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए।

(पृष्ठ 918 पर)

जे. के. कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम राज्य

पी., (1961) 3 एस. सी. आर. 185, इस न्यायालय ने सामंजस्यपूर्ण विघटन के नियम को लागू किया ताकि एक विधायी साधन के दोनों प्रावधान दिए जा सकें।

टी इस प्रकारः

" इस विसंगति को दूर करने के लिए, विद्वान अटॉर्नी-जनरल कहते हैं, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम को लागू करें और उस खंड 23 को अभिनिर्धारित करें

5 (क) एक नियोक्ता अपने द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले विवाद को उठा सकता है। श्रमिकों की बर्खास्तगी का अपना प्रस्तावित आदेश स्पष्ट रूप से यह है

दो प्रावधानों के बीच जैसा कि ऊपर बताया गया है वैमनस्य। खंड

5 (क) और खंड 23; और निस्संदेह हमें नियम लागू करना होगा

सामंजस्यपूर्ण निर्माण। हालांकि, नियम को लागू करने में, हमारे पास है

यह याद रखना कि सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ नष्ट करना नहीं है। में

न्यायालय द्वारा विधियों की व्याख्या, हमेशा यह मानती है कि

विधायिका ने इसके प्रत्येक भाग को एक उद्देश्य के लिए अंतःस्थापित किया और विधायी इरादा यह है कि क़ानून के प्रत्येक भाग में होना चाहिए

प्रभाव पड़ता है। इन अनुमानों के मामले में किया जाना होगा

नियम बनाने का अधिकार भी। द्वारा सुझाए गए निर्माण पर विद्वान महान्यायवादी यह स्पष्ट है कि केवल एक गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड बनाने से।

वी. तटीय नौसेना

ऑनस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खंड (5) के तहत इस आरोप पर आवेदन कि विवाद है

नियोक्ता द्वारा श्रमिकों को बर्खास्त करने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के बारे में उत्पन्न हुआ प्रत्येक मामले में खंड 23 की अपेक्षाओं से बच सकते हैं और यदि

बर्खास्तगी का प्रस्ताव करते समय किसी न किसी कारण से हर नियोक्ता

एक बनाने के बजाय खंड 5 (ए) के तहत आगे बढ़ना पसंद करते हैं

खंड 23, खंड 23 के तहत आवेदन एक मृत पत्र होगा। ए.

इस तरह का निर्माण जो नियम बनाने के इरादे को विफल कर देता है यदि संभव हो तो खंड 23 में प्राधिकरण से बचा जाना चाहिए। ”

(पृष्ठ 193 पर)

खानों के मुख्य निरीक्षक बनाम। लाला करम चंद थापर,

2) 1 एस. सी. आर. 9, सामंजस्यपूर्ण निर्माण के नियम का उपयोग खान अधिनियम, 1952 की धारा 31 (4) और सामान्य प्रशासन की धारा 24 पर सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया गया था।

एसईएस अधिनियम। इस न्यायालय ने कहाः

" यदि धारा 31 (4) के शब्दों का अर्थ यह है कि -

विनियम इस हद तक अधिनियम का हिस्सा बन गए कि जब अधिनियम निरस्त कर दिया जाता है, विनियम भी निरस्त कर दिए जाते हैं, एक संघर्ष

एक बार धारा 31 (4) और धारा के प्रावधानों के बीच उत्पन्न होता है

24 सामान्य खंड अधिनियम। दूसरे शब्दों में, खान अधिनियम,

1923 , धारा 31 (4) में यह कहते हुए कि अधिनियम का निरसन होगा

जिसके परिणामस्वरूप विनियमों को निरस्त किया जाएगा, प्रावधानों में कहा जाएगा सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24, जैसा कि इसमें पढ़ा गया है, कि

अधिनियम का निरसन, जब अधिनियम निरसित और पुनः अधिनियमित किया जाता है,

नियम निरस्त नहीं होंगे लेकिन तब तक लागू रहेंगे जब तक कि

पुनः अधिनियमित अधिनियम के तहत बनाए गए विनियमों द्वारा प्रतिस्थापित। को। इस संघर्ष को हल करने के लिए अदालतों को सामंजस्यपूर्ण नियम लागू करना चाहिए

निर्माण। श्री पाठक के अनुसार हमारे बीच पूर्ण सामंजस्य है।

यदि यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि सामान्य खंडों की धारा 24 के प्रावधान

अधिनियम का प्रभाव केवल तभी होगा जब नियम ऐसे हों जो जीवित रहें। मूल अधिनियम का निरसन और साथ ही, धारा का अर्थ

31 (4) इसका अर्थ यह है कि विनियम सभी उद्देश्यों के लिए भाग बन गए

और अधिनियम का अंश। लेकिन सामंजस्य स्थापित करने का अर्थ विनाश करना नहीं है। विद्वान वकील के तर्क पर तथाकथित सामंजस्य है

सामान्य की धारा 24 के प्रावधानों को बनाकर प्राप्त किया गया

खंड अधिनियम निरर्थक है और प्रभाव में उनके संबंध में उन्हें नष्ट कर रहा है

खान अधिनियम, 1923। इसलिए हमें कुछ और उपाय खोजने होंगे।

दोनों प्रावधानों का सामंजस्य स्थापित करना। उचित तरीका

सामंजस्य स्थापित करना जो स्पष्ट रूप से खुद का सुझाव देता है, अनुभाग का अर्थ है

31 (4) इसका अर्थ यह है कि प्रकाशन पर विनियमों में [2019] 5 एस. सी. आर. होंगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कुछ उद्देश्य, उदाहरण के लिए, निर्णय लेने का उद्देश्य

विनियमों की वैधता, वही प्रभाव जैसे कि वे इसका हिस्सा थे

अधिनियम, लेकिन अस्तित्व की निरंतरता के उद्देश्य से, वे

अधिनियम का हिस्सा नहीं माना जाएगा, ताकि भले ही अधिनियम

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 के प्रावधानों के साथ। यह निर्माण धारा 31 (4) को उचित प्रभाव देगा।

खान अधिनियम, 1923 और साथ ही साथ बहुत निराश नहीं करता है

सामान्य खंड अधिनियम की धारा 24 का हितकारी उद्देश्य। .....

" 9

(

पीपी में। 19-20)

अनवर हसन खान बनाम। मोहम्मद. शफी, (2001) 8 एससीसी 540, यह

न्यायालय ने संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया कि सामंजस्यपूर्ण निर्माण के सिद्धांत का क्या अर्थ है, इस प्रकारः

" 8. यह तय किया जाता है कि किसी विशेष प्रावधान की व्याख्या करने के लिए

अधिनियम, शब्दों और वाक्यांशों के अर्थ का महत्व और प्रभाव

कानून में उपयोग किए गए पाठ, प्रकृति से एकत्र किया जाना है

विषय-वस्तु और क़ानून का उद्देश्य और इरादा।

यह एक क़ानून के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है जो प्रयास करता है टकराव से बचकर इसके प्रावधानों का अर्थ लगाया जाना चाहिए।

और एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाना। बनाए गए कानून या नियम

इसके तहत समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक प्रावधान होना चाहिए

जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, उसके अनुरूप प्रावधान। द. सामंजस्यपूर्ण निर्माण का प्रसिद्ध सिद्धांत यह है कि प्रभाव

"मृत पत्र" के प्रावधानों में से एक सामंजस्यपूर्ण नहीं है। निर्माण। .....

में निहित प्रावधानों को सुसंगत बनाने का एक उचित तरीका

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा 33 और 34, जो एक सामान्य अधिनियम है।

कानून जहां तक राजस्व की सुरक्षा से संबंधित है, और 1996 के अधिनियम की धारा 11 (13), जो विशेष रूप से एक मध्यस्थ की नियुक्ति द्वारा विवादों के त्वरित समाधान के लिए लागू होती है, यह घोषणा करते हुए है कि धारा 11 के आवेदन के साथ आगे बढ़ते समय, उच्च न्यायालय को उस लिखत को जब्त करना चाहिए जिसने स्टाम्प शुल्क वहन नहीं किया है और इसे महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के तहत प्राधिकरण को सौंप देना चाहिए, जो तब स्टाम्प शुल्क और दंड (यदि कोई हो) के भुगतान को जारी करने का निर्णय जल्द से जल्द करेगा, और अधिमानतः उस तारीख से 45 दिनों की अवधि के भीतर जिस दिन प्राधिकरण को लिखत प्राप्त होगी। जैसे ही स्टाम्प शुल्क और गारवेयर वॉल रोप्स लिमिटेड।

दस्तावेज़ पर जुर्माना (यदि कोई हो) का भुगतान किया जाता है, तो कोई भी पक्ष दस्तावेज़ को उच्च न्यायालय के ध्यान में ला सकता है, जो तब धारा 11 के आवेदन की तेजी से सुनवाई और निपटान के लिए आगे बढ़ेगा। यह यह भी सुनिश्चित करेगा कि एक बार धारा 11 के आवेदन की अनुमति मिलने के बाद और एक मध्यस्थ नियुक्त होने के बाद, मध्यस्थ 1996 के अधिनियम की धारा 29 ए द्वारा प्रदान की गई समय सीमा के भीतर विवाद का फैसला करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

28. पूर्वाग्रह से लिए गए तर्क, अर्थात्, कि इस मामले के तथ्यों पर, अपीलार्थी को स्टाम्प शुल्क का भुगतान करना था और वह लाभ नहीं उठा सकता है

जब कानून के अनिवार्य प्रावधानों को लागू करने की बात आती है तो उनकी अपनी गलती से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए इस तर्क को भी खारिज किया जाना चाहिए।

29. इसलिए हम अपील की अनुमति देते हैं और बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर देते हैं। मामला बंबई उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

इस निर्णय के आलोक में उसी का निपटारा करने के लिए न्यायालय।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन